NHRC takes notes of death of workers at a chemical factory

https://www.thestatesman.com/india/nhrc-takes-notes-of-death-of-workers-at-a-chemical-factory-1503246729.html

The Commission has sought a detailed report from the CS and the DGP in the matter within four weeks.

The National Human Rights Commission (NHRC) on Monday issued notices to Gujarat's Chief Secretary (CS) and Director General of Police (DGP) over the death of seven workers after a blast at a chemical manufacturing factory in Surat.

The rights body issued the notices taking suo motu cognizance of a media report that seven workers died and 24 were injured after a massive blast at a chemical manufacturing factory in Surat on November 30.

The Commission has sought a detailed report from the CS and the DGP in the matter within four weeks.

The rights body said the report should include the status of the FIR registered by the police, medical treatment of the victims and compensation if any, granted to the next of kin of the deceased persons and the injured.

The Commission said it would also like to know about the action taken against the delinquent persons responsible for the tragedy.

The rights body has observed that the reported explosion in the tank filled with inflammable chemicals, prima facie, indicates possible negligence on the part of the factory management which requires an investigation as the incident has resulted in human rights violations of the victim workers.

NHRC issues notice to Gujarat govt over death of 7 workers at Surat chemical factory

https://www.indialegallive.com/top-news-of-the-day/news/nhrc-surat-factory-blast-gujarat-government/

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of a media report that seven workers died and 24 were injured after a massive blast at a chemical manufacturing factory in Suraj on November 30, 2023.

The Commission has observed that the reported explosion in the tank filled with inflammable chemicals, prima facie, indicates possible negligence on the part of the factory management which requires an investigation as the incident has resulted in human rights violations of the victim workers. Accordingly, it has issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Gujarat calling for a detailed report in the matter within four weeks.

The report should also include the status of the FIR registered by the police, medical treatment of the victims and compensation if any, granted to the next of kin of the deceased persons and the injured. The Commission would also like to know about the action taken against the delinquent persons responsible for the tragedy.

NHRC Notice to Gujarat Govt on Factory Tragedy

https://newskarnataka.com/india/gujarat/gujarat-factory-tragedy/04122023

Surat: The Gujarat Chief Secretary and Director General of Police (DGP) have received a notice from the National Human Rights Commission (NHRC) requesting a thorough report on the tragic event that resulted in the deaths of seven workers at a Surat-based chemical manufacturing factory.

On November 30, there were seven fatalities and 27 injuries from the incident.The explosion, which is said to have happened in a tank containing extremely flammable chemicals, has prompted the NHRC to open an investigation into the event due to concerns about potential factory management negligence.

The NHRC has sent formal notices to Chief Secretary and Director General asking them to provide a detailed report within a span of four weeks.It has asked the officials said that the report must encompass various crucial aspects of the incident, including the status of the First Information Report (FIR), details about the medical treatment received by the victims, and any compensation that may have been granted to the families of the deceased and the injured individuals.The NHRC is also seeking information regarding the actions taken against those deemed responsible for the tragic incident, aiming to ensure that justice prevails for the affected workers.

NHRC issues notice to Gujarat govt over chemical factory blast tragedy

https://www.daijiworld.com/index.php/news/newsDisplay?newsID=1146163

Surat, Dec 4 (IANS): The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Gujarat Chief Secretary and Director General of Police (DGP) seeking a comprehensive report on the tragic incident which claimed the lives of seven workers in a chemical manufacturing factory located in Surat.

The incident took place on November 30 where seven were killed while 27 sustained injured.

The explosion, which reportedly occurred in a tank filled with highly inflammable chemicals, has raised questions about possible negligence on the part of the factory management, prompting NHRC to launch an investigation into the incident.

The NHRC has sent formal notices to Chief Secretary and Director General asking them to provide a detailed report within a span of four weeks.

It has asked the officials said that the report must encompass various crucial aspects of the incident, including the status of the First Information Report (FIR), details about the medical treatment received by the victims, and any compensation that may have been granted to the families of the deceased and the injured individuals.

The NHRC is also seeking information regarding the actions taken against those deemed responsible for the tragic incident, aiming to ensure that justice prevails for the affected workers.

DAINIK BHASKAR, Delhi, 5.12.2023
Page No. 2, Size:(16.87)cms X (9.71)cms.

भास्कर खास • कोई भी गतिविधि होने पर मोशन सेंसर शुरू कर देंगे रिकॉर्डिंग

छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित रहे, इसलिए एमसीडी के 786 स्कूलों में 10,786 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से 786 स्कूलों में 10,786 सीसीटीवी कैमरे लगाएगा। एमसीडी की ओर से सोमवार को कहा गया कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक एमसीडी स्कूल में 10 आईपी-सक्षम वैंडल डोम कैमरे और 5 बुलेट कैमरे लगाए जाएंगे। एमसीडी संचालित स्कूलों में यौन उत्पीड़न के मामलों के बाद नगर निकाय ने पहले घोषणा की थी कि वह 15 सीसीटीवी कैमरे लगाएगी और लगभग 3 हजार सुरक्षा गार्डों की भी भर्ती करेगी।

एमसीडी ने कहा कि पूर्ववर्ती दक्षिणी और पूर्वी निगम ने अपने 399 स्कूलों में से प्रत्येक में 15 सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। हालांकि, तत्कालीन उत्तरी निगम के 529 स्कूलों में से केवल 120 स्कूलों में 480 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिसमें हर स्कूल में 4 कैमरे थे। सीसीटीवी कैमरे शाहदरा नॉर्थ, शाहदरा साउथ, सिविल लाइंस, सिटी एसपी, करोल बाग, नरेला, केशवपुरम, रोहिणी, दक्षिणी, पश्चिमी, मध्य और नजफगढ़ इलाकों में लगाए जाएंगे।

रिकॉर्डिंग स्टोर करने के लिए प्रत्येक कैमरे से 2 टीबी क्षमता की एक हार्ड डिस्क जुड़ी होगी और कैमरे 50 एमबीपीएस इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े होंगे। सीसीटीवी कैमरे संवेदनशील स्थानों पर लगाए जाएंगे। उनमें रात में देखने की क्षमता होगी। उनमें मोशन सेंसर होंगे, जो किसी भी गतिविधि का पता चलने पर रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे।

मानवाधिकार आयोग ने मांगी थी रिपोर्ट

फरवरी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एमसीडी स्कूल के अंदर तीसरी कक्षा की लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली सरकार और पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। मार्च में, एमसीडी स्कूल के 54 वर्षीय चपरासी और उसके सहयोगियों द्वारा कक्षा 5 की एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का एक और मामला सामने आया था।

Surat Chemical Factory Blast: NHRC Points Finger At Management's Negligence In Tragedy That Left 7 Dead, 24 Injured

https://www.freepressjournal.in/india/surat-chemical-factory-blast-nhrc-points-finger-at-managements-negligence-in-tragedy-that-left-7-dead-24-injured

It has issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Gujarat, calling for a detailed report on the matter within four weeks.

The National Human Rights Commission (NHRC), India, has taken suo motu cognizance of a media report that seven workers died, and 24 were injured after a massive blast at a chemical manufacturing factory in Surat on 30th November 2023.

Commission observes possible negligence

The Commission has observed that the reported explosion in the tank filled with inflammable chemicals, prima facie, indicates possible negligence on the part of the factory management, which requires an investigation, as the incident has resulted in human rights violations of the victim workers.

Accordingly, it has issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Gujarat, calling for a detailed report on the matter within four weeks.

Call for detailed report

The report should also include the status of the FIR registered by the police, medical treatment of the victims, and compensation, if any, granted to the next of kin of the deceased persons and the injured. The Commission would also like to know about the action taken against the delinquent persons responsible for the tragedy.

सूरत रसायन संयंत्र विस्फोट: एनएचआरसी ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया, चार हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

https://hindi.theprint.in/india/surat-chemical-plant-explosion-nhrc-issues-notice-to-gujarat-government-seeks-report-within-four-weeks/636332/

नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर सूरत स्थित रसायन निर्माण संयंत्र में विस्फोट से सात श्रमिकों की मौत को लेकर चार हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने कहा कि उसने मीडिया की उन खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया जिसमें कहा गया है कि 29 नवंबर की इस घटना में सात श्रमिकों की मौत हो गई है और 24 लोग घायल हो गए।

आयोग के मुताबिक, यह पाया गया कि ज्वलनशील रसायनों से भरे टैंक में कथित विस्फोट प्रथम द्दष्टया संयंत्र के प्रबंधन की ओर से बरती गई संभावित लापरवाही का संकेत देता है, जिसकी जांच की आवश्यकता है।

एनएचआरसी ने कहा कि इस घटना के परिणामस्वरूप पीड़ित श्रमिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

एनएचआरसी ने गुजरात के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी करके चार हफ्ते में रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

एनएचआरसी ने कहा कि रिपोर्ट में पुलिस में दर्ज प्राथमिकी की स्थिति, पीड़ितों के चिकित्सा उपचार और यदि मृतकों और घायलों के परिजनों को कोई मुआवजा दिया गया है, तो उसका भी जिक्र होना चाहिए।

Surat chemical plant explosion: NHRC issues notice to Gujarat govt

https://www.deccanherald.com/india/gujarat/surat-chemical-plant-explosion-nhrc-issues-notice-to-gujarat-govt-2796399

The commission would also like to know about the action taken against the delinquent persons responsible for the tragedy.

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notice to the Gujarat government seeking a detailed report on the death of seven workers in a blast at a chemical manufacturing factory in Surat.

The commission said it has taken suo motu cognisance of a media report that seven workers died and 24 were injured in the incident on November 29.It has been observed that the reported explosion in a tank filled with inflammable chemicals, prima facie, indicates possible negligence on the part of the factory management, which requires an investigation as the incident has resulted in human rights violations of the victim workers, the NHRC said.

It has issued notices to the chief secretary and the director general of police of Gujarat, calling for a detailed report in the matter within four weeks.The report should also include the status of the FIR registered by police, medical treatment of the victims and compensation, if any, granted to the next of kin of the deceased persons and the injured, the NHRC said.The commission would also like to know about the action taken against the delinquent persons responsible for the tragedy.

DECCAN HERALD, Online, 5.12.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Odisha forms medical boards at district level to assist transgenders

https://www.deccanherald.com/india/odisha/odisha-forms-medical-boards-at-district-level-to-assist-transgenders-2796088

Chief District Medical and Public Health Officer (CDM&PHO) has been appointed as chairman of the six-member medical board while district medical officer (medical superintendent) is the member convenor.
Bhubaneswar: The Odisha government has set up medical boards at the district level to assist transgender persons, a health department order said.

The Health and Family Welfare department has constituted medical boards at district level for consultation, treatment and counselling facilities for transgender persons during their sex reassignment surgery, it said.

The medical boards have been set up as per the recommendation made by the National Human Rights Commission (NHRC) to central and state authorities.

"As per the advisory issued by NHRC for ensuring the welfare of transgender persons to the union and state government, in order to enhance the welfare and rights of transgender persons, a district level medical board is hereby constituted….to assist transgender persons regarding their health issues," said the order issued by the department on December 1.Chief District Medical and Public Health Officer (CDM&PHO) has been appointed as chairman of the six-member medical board while district medical officer (medical superintendent) is the member convenor.Specialists in surgery, obstetricians and gynaecologists, psychiatry or mental health and a clinical psychologist are the other members of the panel.

As per the order, the board will meet as and when required as per requests received from transgender persons.Last month, complying with another recommendation made by the NHRC, the Odisha Higher Education department had directed registrars and principals of all the universities and degree colleges in the state to ensure the safety of the transgenders on campuses.The department had requested the educational institutes to protect gender non-conforming students from bullying, harassment or other forms of violence in their respective jurisdictions.On September 26, the NHRC had issued the advisory to the central and state governments and UT administrations to ensure the welfare of transgender persons.

एनएचआरसी ने केमिकल फैक्ट्री विस्फोट त्रासदी पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया

https://hi.investing.com/news/general/article-113620

सूरत, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुजरात के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर उस दुःखद घटना पर व्यापक रिपोर्ट मांगी है, जिसमें सूरत स्थित एक रसायन विनिर्माण कारखाने में सात श्रमिकों की जान चली गई थी।यह घटना 30 नवंबर को हुई थी जिसमें सात लोगों की मौत हो गई थी जबकि 27 अन्य घायल हो गए थे।

विस्फोट कथित तौर पर अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों से भरे एक टैंक में हुआ था। हादसे ने फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से संभावित लापरवाही के बारे में सवाल उठाए हैं। एनएचआरसी घटना की जांच कर रहा है।

एनएचआरसी ने मुख्य सचिव और महानिदेशक को औपचारिक नोटिस भेजकर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है।

इसने अधिकारियों से कहा है कि रिपोर्ट में घटना के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। इसमें प्राथमिकी की स्थिति, पीड़ितों द्वारा प्राप्त चिकित्सा उपचार के बारे में विवरण और मृतकों और घायल व्यक्तियों के परिवार को मुआवजे की जानकारी शामिल की जा सकती है।

एनएचआरसी ने इस दुःखद घटना के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी मांगी है, जिसका उद्देश्य प्रभावित श्रमिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है।

NHRC issues notice to Gujarat govt. over death of 7 workers at chemical factory blast

https://www.thehindu.com/news/national/other-states/nhrc-issues-notice-to-gujarat-govt-over-death-of-7-workers-at-chemical-factory-blast/article67604509.ece

The commission observed that the reported explosion in the tank filled with inflammable chemicals, prima facie, indicates possible negligence on the part of the factory management which requires an investigation

The National Human Rights Commission (NHRC), on Monday, issued notice to the Chief Secretary and the Director General of Police, Gujarat, calling for a detailed report of the incident in which seven workers died and 24 got injured after a massive blast at a chemical manufacturing factory in Surat.

The incident took place on November 30th. The commission observed that the reported explosion in the tank filled with inflammable chemicals, prima facie, indicates possible negligence on the part of the factory management which requires an investigation.

In their report, which needs to be submitted to NHRC in four weeks, the CS and DGP of Gujarat have to include the status of the FIR registered by the police, medical treatment of the victims and compensation if any, granted to the NoK of the deceased persons and the injured. The Commission has also asked for details of the action taken against the delinquent persons responsible for the tragedy.

More Than 10 Thousand CCTV Cameras To Be Installed In MCD Schools

https://www.india.com/news/delhi/more-than-10-thousand-cctv-cameras-to-be-installed-in-mcd-schools-delhi-nhrc-delhi-police-6559990/

The decision has been taken following the cases of sexual assaults in MCD-run schools.

CCTV Cameras In MCD Schools: Delhi's civic body the Municipal Corporation of Delhi (MCD) on Monday said that it will install 10,786 CCTV cameras at 786 school sites. The cost of placing these cameras would be around Rs 25 crore. The statement issued by the MCD says that each MCD school will be installed with 10 IP-enabled Vandal Dome cameras and five bullet cameras to ensure the safety and security of students.

The decision has been taken following the cases of sexual assaults in MCD-run schools. The civic body had earlier announced that it would install 15 CCTV cameras and recruit nearly 3,000 security guards.

The MCD said that the erstwhile southern and eastern corporation had installed 15 CCTV cameras in each of its 399 schools. However, of 529 schools in the erstwhile northern corporation, only 480 CCTV cameras were installed in 120 schools, four in each.

The areas where the CCTV cameras will be installed include Shahdara North, Shahdara South, Civil Lines, City SP, Karol Bagh, Narela, Keshavpuram, Rohini, Southern, Western, Central, and Najafgarh areas.

A Hard Disk of 2 TB capacity will be attached to each camera to store recording and cameras will be connected with a 50 MBPS internet connection, the statement said.

The CCTV cameras will be installed at vulnerable points and will have night vision capabilities. They will have motion sensors and will start recording upon detecting any movement, the statement said.

"With the help of the internet connection, the CCTV cameras can be accessed from anywhere. The agency selected to install cameras will provide four years AMC along with one year warranty," the statement said.

In February, the National Human Rights Commission (NHRC) sought a report from the Delhi government and Delhi Police in connection with the alleged sexual assault against a class 3 girl inside an MCD school.

In March, another case of alleged gang rape of a class 5 student by a 54-year-old peon of an MCD school and his associates was reported.

UNI, Online, 5.12.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC issues notice to Gujarat government over death of seven workers in Surat

https://www.uniindia.com/nhrc-issues-notice-to-gujarat-government-over-death-of-seven-workers-in-surat/india/news/3099306.html

New Delhi, Dec 4 (UNI) The National Human Rights Commission (NHRC) on Monday issued a notice to the Gujarat government over the reported death of seven workers in a blast at a chemical manufacturing factory in Surat. On November 30, 2023 seven workers died and 24 were injured after a massive blast at a chemical manufacturing factory in Suraj. In a statement here, the Commission said it has taken suo motu cognizance of a media report and issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Gujarat asking for a detailed report in the matter within four weeks. It said, "The Commission has observed that the reported explosion requires an investigation as it has resulted in human rights violations of the victim workers". NHRC said, "The report should also include the status of the FIR registered by the police, medical treatment of the victims and compensation if any, granted to the next of kin of the deceased persons and the injured." "The Commission would also like to know about the action taken against the delinquent persons responsible for the tragedy", said the statement.

केमिकल फैक्ट्री विस्फोट, NHRC ने प्रबंधन पर उठाई उंगली

https://jantaserishta.com/karnataka/cm-siddaramaiah-to-review-extending-metro-till-nelamangala-753108

सूरत। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है कि 30 नवंबर 2023 को सूरत में एक रासायनिक विनिर्माण कारखाने में बड़े विस्फोट के बाद सात श्रमिकों की मौत हो गई और 24 घायल हो गए।

आयोग ने पाया है कि ज्वलनशील रसायनों से भरे टैंक में कथित विस्फोट, प्रथम दृष्टया, फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से संभावित लापरवाही का संकेत देता है, जिसकी जांच की आवश्यकता है, क्योंकि इस घटना के परिणामस्वरूप पीड़ित श्रमिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

तदनुसार, इसने गुजरात के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

रिपोर्ट में पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की स्थिति, पीड़ितों का चिकित्सा उपचार और मृत व्यक्तियों के परिजनों और घायलों को दिया गया मुआवजा, यदि कोई हो, भी शामिल होना चाहिए। आयोग इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार अपराधी व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी जानना चाहेगा।

NAVODYA TIMES, Delhi, 5.12.2023
Page No. 14, Size:(21.87)cms X (30.94)cms.

गुजरात सरकार को एनएचआरसी का नोटिस

■ सूरत रसायन संयंत्र विस्फोट में 7 श्रमिकों की हुई थी मौत

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर (एजेंसी) : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर सूरत स्थित रसायन निर्माण संयंत्र में विस्फोट से सात श्रमिकों की मौत को लेकर चार हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

एनएचआरसी ने गुजरात के मुख्य सचिव और राज्य पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी करके चार हफ्ते में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। एनएचआरसी ने कहा कि रिपोर्ट में पुलिस में दर्ज प्राथमिकी की स्थिति, पीड़ितों के उपचार और यदि मृतकों और घायलों के परिजनों को कोई मुआवजा दिया गया है, तो उसका भी जिक्र होना चाहिए।

स्वतः संज्ञान लिया : आयोग ने कहा कि उसने मीडिया की उन खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया जिसमें कहा गया है कि 29 नवंबर की इस घटना में सात श्रमिकों की मौत हो गई है और 24 लोग घायल हो गए। विस्फोट प्रथम दृष्टया संयंत्र के प्रबंधन की संभावित लापरवाही का संकेत देता है।

यमुना में प्रदूषण पर रिपोर्ट मांगी

एनजीटी ने यूपी के मुख्य सचिव को ताजा नोटिस जारी करके उनसे मथुरा में यमुना नदी में सीवेज का अशोधित पानी छोड़े जाने के संबंध में एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने को के लिए कहा है। इस साल 5 अक्तूबर को अधिकरण ने कहा था कि मुख्य सचिव ने न तो रिपोर्ट दाखिल की थी और न ही अप्रैल के आदेश पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता की दलीलों पर गौर किया कि मुख्य सचिव को विधिवत अवगत कराया था, लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई।

HINDU, Delhi, 5.12.2023
Page No. 4, Size:(13.65)cms X (25.04)cms.

Death of 7 workers in factory blast: NHRC notice to Gujarat govt.

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) on Monday issued notice to the Chief Secretary and the Director General of Police, Gujarat, calling for a detailed report of the incident in which seven workers died and 24 got injured after a massive blast at a chemical manufacturing factory in Sachin GIDC area of Surat.

Smoke and flame billows from the chemical factory in the Sachin GIDC area of Surat where the fire broke out. ANI

'Possible negligence'

The incident took place on November 30th. The commission observed that the reported explosion in the tank filled with inflammable chemicals, *prima facie*, indicates possible negligence on the part of the factory management which requires an investigation.

In their report, which needs to be submitted to NHRC in four weeks, the CS and DGP of Gujarat have to include the status of the FIR registered by the police, medical treatment of the victims and compensation if any, granted to the kin of the deceased persons and the injured.

Details sought

The Commission has also asked for details of the action taken against the delinquent persons responsible for the tragedy.

NEW POWER GAME, Online, 5.12.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Gujarat News: NHRC ने केमिकल फैक्ट्री विस्फोट त्रासदी पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया

https://npg.news/delhi/gujarat-news-nhrc-issues-notice-to-gujarat-government-on-chemical-factory-blast-tragedy-1255437

Gujarat News:राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुजरात के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर उस दुःखद घटना पर व्यापक रिपोर्ट मांगी है, जिसमें सूरत स्थित एक रसायन विनिर्माण कारखाने में सात श्रमिकों की जान चली गई थी।

Gujarat News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुजरात के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर उस दुःखद घटना पर व्यापक रिपोर्ट मांगी है, जिसमें सूरत स्थित एक रसायन विनिर्माण कारखाने में सात श्रमिकों की जान चली गई थी।

यह घटना 30 नवंबर को हुई थी जिसमें सात लोगों की मौत हो गई थी जबकि 27 अन्य घायल हो गए थे।विस्फोट कथित तौर पर अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों से भरे एक टैंक में हुआ था। हादसे ने फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से संभावित लापरवाही के बारे में सवाल उठाए हैं। एनएचआरसी घटना की जांच कर रहा है।

एनएचआरसी ने मुख्य सचिव और महानिदेशक को औपचारिक नोटिस भेजकर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है।इसने अधिकारियों से कहा है कि रिपोर्ट में घटना के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। इसमें प्राथमिकी की स्थिति, पीड़ितों द्वारा प्राप्त चिकित्सा उपचार के बारे में विवरण और मृतकों और घायल व्यक्तियों के परिवार को मुआवजे की जानकारी शामिल की जा सकती है।एनएचआरसी ने इस दुःखद घटना के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी मांगी है, जिसका उद्देश्य प्रभावित श्रमिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है।

AMAR UJALA, Online, 5.12.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Ghazipur News: 22 माह के बाद जागा प्रशासन, सौंपी जांच रिपोर्ट

https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/ghazipur/administration-woke-up-after-22-months-submitted-investigation-report-ghazipur-news-c-313-1-svns1020-7328-2023-12-04

औड़िहार। सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के शरीफपुर ग्राम स्थित प्राथमिक विद्यालय में घटिया निर्माण सामान से बनाए गया गेट करीब 22 माह पूर्व गिर गया था। हादसे में एक छह वर्षीय बालिका की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सख्ती पर डीएम ने चार सदस्यीय जांच टीम गठित की। रविवार को एडीएम एके सिंह के नेतृत्व में एसपी सिटी, बीएसए और अधिशासी अभियंता निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विद्यालय पहुंचे। उन्होंने ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक से पूछताछ कर रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी। बीते पांच फरवरी 2022 को शिक्षा क्षेत्र सैदपुर के तहत शरीफपुर प्राथमिक विद्यालय के पास सरस्वती पूजन का आयोजन चल रहा था। गांव के बच्चे स्कूल के मुख्य द्वार पर गेट पर झूला झूल रहे थे। तभी गेट का मुख्य द्वार भरभरा कर गिर गया। हादसे में गोपालपुर निवासी मां के साथ ननिहाल शरीफपुर आई रिद्धि यादव (6) की दबकर मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर मृतका की मां चंद्रकला देवी, तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाध्यापक अमरनाथ बारी ने कार्यदायी संस्था के अधिशासी अधिकारी दिलीप कुमार शुक्ला के विरुद्ध सैदपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में कोई कार्रवाई और गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ित परिजनों ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर एवं परिवाद दाखिल कर कार्रवाई की मांग की थी। मानवाधिकार आयोग और बाल संरक्षण आयोग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी, तब जाकर आनन- फानन में जिला प्रशासन ने जांच समिति गठित कर रिपोर्ट मांगा। इस क्रम में एडीएम एके सिंह के नेतृत्व में एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार, बीएसए हेमंत राव और ग्रामीण अभियंत्रण निर्माण कार्य अधिशासी अभियंता ने जांच किया। इस दौरान लोगों ने कार्यदायी संस्था को दोषी ठहराते हुए उसके जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। टीम ने जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपा दिया। बीते पांच फरवरी 2022 को शिक्षा क्षेत्र सैदपुर के तहत शरीफपुर प्राथमिक विद्यालय के पास सरस्वती पूजन का आयोजन चल रहा था। गांव के बच्चे स्कूल के मुख्य द्वार पर गेट पर झूला झूल रहे थे। तभी गेट का मुख्य द्वार भरभरा कर गिर गया। हादसे में गोपालपुर निवासी मां के साथ ननिहाल शरीफपुर आई रिद्धि यादव (6) की दबकर मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर मृतका की मां चंद्रकला देवी, तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाध्यापक अमरनाथ बारी ने कार्यदायी संस्था के अधिशासी अधिकारी दिलीप कुमार शुक्ला के विरुद्ध सैदपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में कोई कार्रवाई और गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ित परिजनों ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर एवं परिवाद दाखिल कर कार्रवाई की मांग की थी। मानवाधिकार आयोग और बाल संरक्‌षण आयोग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी, तब जाकर आनन- फानन में जिला प्रशासन ने जांच समिति गठित कर रिपोर्ट मांगा। इस क्रम में एडीएम एके सिंह के नेतृत्व में एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार, बीएसए हेमंत राव और ग्रामीण अभियंत्रण निर्माण कार्य अधिशासी अभियंता ने जांच किया।

इस दौरान लोगों ने कार्यदायी संस्था को दोषी ठहराते हुए उसके जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। टीम ने जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपा दिया।

Aether blaze: NGT hearing on Dec 8 NHRC issues notice to Chief Secy, DGP

https://indianexpress.com/article/cities/surat/aether-blaze-ngt-hearing-on-dec-8-nhrc-issues-notice-to-chief-secy-dgp-9054654/

The report should include status of the FIR registered by the police, medical treatment of the victims, compensation granted to the families of deceased and injured, and the action taken against the persons responsible for the tragedy.

Taking suo motu cognizance of the Aether Industries fire accident in which seven labourers lost their lives, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to Gujarat Chief Secretary and Director General of Police Gujarat seeking a detailed report within four weeks.

The report should include status of the FIR registered by the police, medical treatment of the victims, compensation granted to the families of deceased and injured, and the action taken against the persons responsible for the tragedy. "The commission has observed that the reported explosion in the tank filled with inflammable chemicals, prima facie, indicates possible negligence on the part of the factory management that requires an investigation as the incident has resulted in human rights violence of the victim workers," NHRC stated in an official release.

Meanwhile, the principal bench of the National Green Tribunal in New Delhi will take up the case for hearing on December 8. Taking up the case suo motu, NGT has issued notices to the Gujarat Pollution Control Board (GPCB), Collector and District Magistrate of Surat to be present for the hearing.

In addition to the deceased, 27 were injured in the fire that broke out on November 29 in a solvent chemical tank at Aether Industries in Sachin GIDC.

A day after the accident, Aether had announced an immediate aid of Rs 5 lakh to the families of each deceased and Rs 45 lakh more after a DNA test. The company has also disbursed Rs 35,000 to the families of the 27 labourers currently undergoing treatment at various hospitals.

On Monday, GPCB officials, factory inspector and FSL officials visited the accident site to collect samples to probe the cause of the fire. "Currently, we have lodged a case of accidental death into the incident," Sachin GIDC police Inspector J R Chaudhary said.

कुशवाह की गिरफ्तारी का मामला मानवाधिकार पहुंचा

https://www.bhaskar.com/news/raj-kot-omc-mat-latest-kota-news-062503-3038358-nor.html

कोटा| अभिभाषकपरिषद के पूर्व अध्यक्ष नोटेरी रमेश चंद कुशवाह को गिरफ्तारी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ह्यूमन रिलीफ सोसाइटी के महासचिव एडवोकेट अख्तर खान की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।वहीं, वकीलों ने इस मामले में आईजी को भी ज्ञापन दिया। उन्होंने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में झालावाड़ जिले के सारोला कला के थानाधिकारी सहित अन्य जिम्मेदार लोगो के खिलाफ शिकायत रिपोर्ट भेजी थी।

विवादास्पद अधिकारी राकेश अस्थाना को सेवानिवृत्ति के बाद एनएचआरसी ‘मॉनिटर’ की भूमिका मिली

https://thewirehindi.com/262931/post-retirement-controversial-top-cop-rakesh-asthana-lands-nhrc-monitor-role/

सीबीआई बनाम सीबीआई विवाद को लेकर चर्चा में रहे दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को केंद्र ने सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सात 'विशेष मॉनिटरों' में से एक के रूप में चुना है. वे आयोग में आतंकवाद विरोधी, सांप्रदायिक दंगों और वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा जैसे क्षेत्रों पर नज़र रखेंगे.

नई दिल्ली: अपने समय में विवादास्पद शख्स रहे दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद के कार्यभार के लिए चुना है.

2018 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष निदेशक के रूप में अस्थाना, जांच एजेंसी के तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा के साथ हुए विवाद में शामिल थे. वर्मा और अस्थाना दोनों पर सीबीआई ने रिश्वतखोरी और जबरन वसूली का आरोप लगाया था. अक्टूबर 2018 में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अस्थाना को छुट्टी पर जाने को कहा था. बाद में जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने वर्मा को निदेशक पद से हटा दिया था.

तब तक कई ख़बरों में बताया गया था कि मोदी सरकार में शीर्ष अधिकारियों के साथ निकटता के कारण अस्थाना को हमेशा सरकार में बड़े पद मिले थे.

सीबीआई में रहते हुए अस्थाना करोड़ों रुपये के चारा घोटाले की जांच के कारण भी चर्चा में रहे थे, जिसमें मोदी के कट्टर विरोधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव आरोपी थे.

जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अस्थाना को सेवानिवृत्त होने से चार दिन पहले ‘सार्वजनिक हित’ में दिल्ली पुलिस प्रमुख के रूप में चुना था. उनके नियुक्ति को चुनौती देते हुए सिविल सोसाइटी वकालत समूह कॉमन कॉज़ ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की.

इस साल फरवरी में शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए मामले को खारिज कर दिया कि यह मामला निरर्थक हो गया क्योंकि वह जुलाई 2022 में पद से सेवानिवृत्त हो गए थे.

22 नवंबर को केंद्र सरकार अस्थाना को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सात ‘विशेष मॉनिटरों’ में से एक के रूप में वापस लाई है.

न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अस्थाना एनएचआरसी के आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगों और वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा जैसे क्षेत्रों की निगरानी करेंगे.

22 नवंबर के आदेश में 'विशेष मॉनिटर' के रूप में जिनके नाम शामिल हैं उनमें आईपीएस अधिकारी मुकेश चंद्र, अमिताभ अग्निहोत्री, संजय अग्रवाल, आरके सामा, मनोहर अगानी और ज्योत्सना सिटलिंग भी शामिल हैं.

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जहां मुकेश चंद्रा एनएचआरसी में साइबर अपराधों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगे, वहीं अमिताभ अग्निहोत्री जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और मानवाधिकार संबंधी मुद्दों की निगरानी करेंगे.

प्रारंभिक शिक्षा की मॉनिटरिंग के लिए संजय अग्रवाल को प्रभारी बनाया गया है. वहीं आरके सामा आयोग में पानी, स्वच्छता संबंधी के लिए 'विशेष मॉनिटर' होंगे, मनोहर अगानी सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल, एचआईवी-एड्स और नकली दवाओं के मामले की देखरेख करेंगे. ज्योत्सना सिटलिंग आजीविका, रोजगार और कौशल की निगरानी करेंगी.

देश की खबरें | सूरत रसायन संयंत्र विस्फोट: एनएचआरसी ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया, चार हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

https://hindi.latestly.com/agency-news/surat-chemical-plant-blast-nhrc-issues-notice-to-gujarat-government-seeks-report-within-four-weeksr-2004603.html

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर सूरत स्थित रसायन निर्माण संयंत्र में विस्फोट से सात श्रमिकों की मौत को लेकर चार हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

नयी दिल्ली, चार दिसंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर सूरत स्थित रसायन निर्माण संयंत्र में विस्फोट से सात श्रमिकों की मौत को लेकर चार हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।आयोग ने कहा कि उसने मीडिया की उन खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया जिसमें कहा गया है कि 29 नवंबर की इस घटना में सात श्रमिकों की मौत हो गई है और 24 लोग घायल हो गए।आयोग के मुताबिक, यह पाया गया कि ज्वलनशील रसायनों से भरे टैंक में कथित विस्फोट प्रथम दृष्टया संयंत्र के प्रबंधन की ओर से बरती गई संभावित लापरवाही का संकेत देता है, जिसकी जांच की आवश्यकता है।

एनएचआरसी ने कहा कि इस घटना के परिणामस्वरूप पीड़ित श्रमिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।एनएचआरसी ने गुजरात के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी करके चार हफ्ते में रिपोर्ट देने के लिए कहा है।एनएचआरसी ने कहा कि रिपोर्ट में पुलिस में दर्ज प्राथमिकी की स्थिति, पीड़ितों के चिकित्सा उपचार और यदि मृतकों और घायलों के परिजनों को कोई मुआवजा दिया गया है, तो उसका भी जिक्र होना चाहिए।संतोष रंजन

फर्जी नक्सली सरेंडर हाजत में मौत मामलों की हकीकत जानेगा मानवाधिकार आयोग

https://www.bhaskar.com/news/jha-ran-hmu-mat-latest-ranchi-news-033501-916184-nor.html

दिग्दर्शनफर्जी नक्सली सरेंडर और हाजत में मौतों से जुड़े मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगा। इसके लिए आयोग की टीम सात और आठ सितंबर को झारखंड न्यायिक एकेडमी, धुर्वा में कैंप लगाएगी। उदघाटन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एचएल दत्तु बुधवार को सुबह 10 बजे करेंगे। पहले दिन 15 मामलों की सुनवाई होगी। एसटी/एससी से जुड़ी 69 शिकायतों पर भी खुली सुनवाई होगी। गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक विभिन्न जिलों के लंबित 12 वादों पर सुनवाई होगी, फिर गैर सरकारी संगठनों के साथ बैठक की जाएगी। इन दो दिनों में उठे बिंदुओं पर विचार-विमर्श के लिए दिन के तीन बजे से 4.30 बजे तक प्रोेजेक्ट भवन में बैठक होगी। इसमें राज्य के आला अधिकारी, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, आईजी मौजूद रहेंगे।

दिग्दर्शन ने 514 युवकों को कराया था सरेंडर

दिग्दर्शनमामला 514 गरीब आदवासी युवकों को नक्सली बता सरेंडर कराने से जुड़ा है। कांटाटोली स्थित दिग्दर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इन युवकों को 50 हजार रुपए से लेकर दो लाख रुपए तक देने का लालच दिया था। उन्हें झांसा दिया गया था कि पहले उन्हें आत्मसमर्पण कराया जाएगा, फिर सरेंडर पॉलिसी के तहत नौकरी लगा दी जाएगी। बाद में उन्हें पुराने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में कोबरा बटालियन के शिविर में कैद रखा गया था। यह मामला विधानसभा में मामला उठा। दिग्दर्शन का निदेशक गिरफ्तार भी हुआ। मुकदमा जारी है।

इन पर भी सुनवाई

घर-होटलऔर कारखानों में बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी, एसटी/एससी मामले, पुलिस एक्शन हिरासत में मौत आदि।

ये हैं आयोग की टीम में

राष्ट्रीयमानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एचएल दत्तु, सदस्य जस्टिस सी जोसेफ, जस्टिस डी मुरुगेसन और एससी सिन्हा।